Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE No. 50/2016

No. E (NG)-II/2010/RR-1/17.

New Delhi, dated: 17.05.2016

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units, CORE/Allahabad,
MTP/Kolkata, Chennai, Mumbai,
CAO (R), DMW/Patiala, COFMOW/New Delhi,
Director General, RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodra,
Director, IRISET/Secundrabad, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik &
IRIM&EE/Jamalpur and Chairmen/Railway Recruitment Boards.

Sub: Recognition of qualification obtained through Distance Education Mode – Acceptance for purpose of employment on the railways.

Ref: Board's letter of even number dated 08/12/2011 (RBE No. 165/2011) & 6/6/2015 (RBE No.67/2015), No. E(NG)II/2001/RR-1/45 dated 14/7/2015 (RBE No.80/2015), No. E(NG)II/2001/RR-1/45/Pt.A dated 29/9/2015 (RBE No.118/2015) and No. E(NG)II/2001/RR-1/20 dated 07/12/2015 (RBE No.153/2015).

***

Vide letters under reference, instructions have been issued to Railways for non-acceptance of qualification obtained through distance learning mode for the purpose of employment on the Railways.

2. Department of Higher Education, M/o Human Resource Development notification No. F.6-1/2013-DL dated 10/6/2015 published in Gazette of India on 25/7/2015 has decided that **all the degrees/diplomas/certificates including technical education degrees/diplomas awarded through Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government provided they have been approved by the University Grants Commission.**

3. Accordingly, it has now been decided by the Board that above instructions of M/o Human Resource Development be complied with for the purpose of employment to posts and services on the Railways.

4. Instructions contained in this letter will be effective from the date of issue of notification of M/o HRD i.e. 10/6/2015.

5. Cases finalized prior to issue of this letter need not be re-opened.

Please acknowledge receipt.
(Hindi version will follow)

(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)-II
Railway Board.

...2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

3
04/2016

सं. ई(एनजी)-II/2010/आरआर-1/17

आरबीई सं. 56/2016
नई दिल्ली, दिनांक 17/05/2016

महाप्रबंधक (पी),
सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
एमटीपी/कोलकाता, चेन्नै, मुंबई,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला, कॉफमो/नई दिल्ली,
महानिदेशक, अ.अ. एवं मा.सं./लखनऊ और एनएआईआर/वडोदरा,
निदेशक, आईआरआईएसईटी/सिकन्दराबाद, आईआरआईसीईएन/पुणे, आईआरआईईईएन/नासिक और
आईआरआईएम एवं ईई/जमालपुर और अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड.

विषय : दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से प्राप्त योग्यता को मान्यता देना - रेलों में रोजगार के प्रयोजन से स्वीकृति।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 08/12/2011 (आरबीई सं. 165/2011) और 16/6/2015 (आरबीई सं. 67/2015), के समसंख्यक पत्र दिनांक 14/7/2015 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/45 (आरबीई सं. 80/2015), दिनांक 29/9/2015 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/45 पार्ट ए (आरबीई सं. 118/2015) और दिनांक 07/12/2015 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/20 (आरबीई सं. 153/2015).

संदर्भाधीन पत्रों के तहत रेलों में रोजगार के लिए दूरस्थ शिक्षा विधि से प्राप्त योग्यता को स्वीकार नहीं करने के लिए रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

2. उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 25/7/2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10.6.2015 की अधिसूचना सं. एफ 6-1-2013-डीएल के तहत यह विनिश्चय किया है कि **संसद अथवा राज्य विधायिका के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में माने गए संस्थानों और संसद के किसी अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा खुली एवं दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से दी गई तकनीकी शिक्षा की डिग्रियां/डिप्लोमा सहित सभी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए स्वत: मान्यताप्राप्त होते हैं परन्तु उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया होना चाहिए।**

3. तद्नुसार, बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रेलों में पदों और सेवाओं में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

4. इस पत्र में निहित अनुदेश मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के दिनांक 10/6/2015 की अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. इस पत्र के जारी होने से पूर्व अंतिम रूप दिए गए मामलों को पुन: खोलने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया पावती दें।

(नीरज कुमार)
निदेशक स्था. (एन)-II
रेलवे बोर्ड

PRATIBHA EXAMINATION